कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांकः– दिनांकः–

नीलामी सूचना

न्यास के मिनी सचिवालय योजनान्तर्गत निर्माण कार्य स्थल पर काटे गए पेड 43 नग जिसमें नीम, सफेदा, बड़, जामुन, खजूर, बबूल, पीपल व पुराने भवनों से निकाला गया अन्य अनुपयोगी/नकारा सामान सूची के अनुसार जहाँ है जैसी स्थिति में है को मौका स्थल पर दिनांक 07.09.2018 को प्रातः 11:00 बजे नीलाम किया जावेगा। अतः इच्छुक बोलीदाता नीलामी में भाग लेने के लिए अमानत राशि **50000/–रूपये–** नकद अथवा सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट नीलामी से पूर्व जमा कराकर बोली में भाग ले सकते है। बोली छूटने पर 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी होगी जो अमानत राशि से पृथक होगी। शेष बची हुई राशि स्वीकृति पत्र जारी होने की तिथि से 2 दिवस में जमा करानी होगी। स्वीकृत नीलामी राशि के अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क 2 प्रतिशत, नियमानुसार जी.एस.टी. एवं टी.सी.एस राशि देनी होगी। सामान की सूची एवं नीलामी की शर्तें आदि की जानकारी न्यास कार्यालय में कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

क्रमांकः– 10994/18 दिनांकः– 21-08-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. प्रभारी अधिकारी, स्टोर, नगर विकास न्यास, अलवर।
2. वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर विकास न्यास, अलवर को भेजकर लेख है कि विज्ञप्ति को 2 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित करावे।
3. सहायक नगर नियोजक, नगर विकास न्यास, अलवर।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर

कार्यालय नगर विकास न्यास, अलवर

अनुपयोगी सामान की नीलामी हेतु शर्तें

1. न्यूनतम बोली कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा निर्धारित की जावेगी। निर्धारित बोली से कम की बोली स्वीकार नहीं की जावेगी।
2. नीलामी में भाग लेने के लिए अमानत राशि 50000/–रूपये– नकद अथंवा सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर के नाम देय डिमाण्ड ड्राफ्ट नीलामी से पूर्व जमा कराना आवश्यक होगा।
3. अमानत राशि जमा कराने के उपरान्त ही नीलामी में भाग लिया जा सकता है।
4. नीलामी स्वीकृत करने एवं अस्वीकृत के समस्त अधिकार नीलामी समिति को होगा।
5. जिस राशि पर अन्तिम बोली स्वीकृत की जावेगी उसकी 1/4 राशि मौके पर ही जमा करानी होगी।
6. अमानत राशि एवं 1/4 राशि को समायोजित करते हुए शेष राशि बोली स्वीकृति का पत्र जारी होने की तिथी से दो दिवस में जमा करानी आवश्यक होगी। तदोपरान्त ही सामान, लकड़ी की सुपुर्दगी दी जावेगी। अन्यथा अमानत राशि एवं 1/4 राशि जब्त करली जावेगी।
7. स्वीकृत नीलामी राशि के अतिरिक्त प्रशासनिक शुल्क 2 प्रतिशत, नियमानुसार जीएसटी एवं आयकर राशि देनी होगी।
8. अन्य कोई भी करं जो सरकार को देय होगा। वह स्वीकृत बोलीदाता द्वारा देय होगा।
9. सामान जैसी हालत में है वैसी ही दशा में नीलाम किया जावेगा।
10. सामान स्वयं के खर्चे पर खरीददार को सम्पूर्ण राशि जमा कराने के 3 दिवस में उठाना होगा।
11. कटे हुए पेड़ नग 43 जिसमें नीम, सफेदा, बड़, जामुन, खजूर, बबूल व पीपल शामिल है की बोली प्रत्येक की अलग–अलग व घन फीट की दर से लगानी होगी।
12. अन्य सामान जिसमे लकड़ी तथा लोहे इत्यादि का सामान शामिल है की बोली मौके पर नीलामी कमेटी द्वारा तय रीति से लगानी होगी।
13. बोली दाता को अपनी I.D. व PAN Card की प्रति अमानत राशि के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

सचिव
नगर विकास न्यास, अलवर